हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम

(विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित)

कार्य सारांश

हितधारकों को शामिल करने की योजना

नवम्बर **2019**

हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम

(हिमाचल प्रदेश सरकार का उपक्रम)

(ISO 9001:2008 QMS and ISO **14001:2004** EMS कंपनी की पुष्टि करते हुए)

कार्य सारांश

1. प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार परियोजना (HPSRTP) का उद्देश्य परिवहन, संभार-तंत्र तथा सड़क सुरक्षा संस्थानों की दक्षता बढ़ाना, प्राथमिकता वाली प्रमुख जिला सड़कों तथा अन्य राज्य सड़कों में सुधार और राज्य में बागवानी तथा समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस परियोजना के बहुआयामी उद्देश्य और उप उद्देश्य हैं, जिनमें संस्थागत विकास, सड़क सुरक्षा में सुधार, हरे भरे और सुरक्षित गलियारे की पहल को बढ़ावा देना, सड़क रखरखाव का व्यवसायीकरण, आदि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सड़क सुधार परियोजना को तीन भागों में लागू किया जा रहा है।
2. हिमाचल प्रदेश सड़क सुधार परियोजना के पहले भाग के तहत प्रस्तावित बुनियादी ढांचे से संबंधित उपायों के अंतर्गत, परियोजना में उन्नयन के लिए 77.25 कि.मी. सड़कें और निष्पादन आधारित दीर्घकालिक रखरखाव के लिए 150 किमी सड़कें शामिल होंगी। इनमें प्रमुख जिला सडकें और अन्य राज्य सड़कें शामिल होंगी। परियोजना सड़क के प्रस्तावित सुधार में संकेंद्रित चौड़ीकरण, उत्केंद्रित चौड़ीकरण और साथ ही आवश्यक स्थानों पर ज्यामितीय सुधार शामिल हैं। इसके अलावा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों तथा भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों तथा सड़क किनारे की अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा और मौजूदा वर्षा शालिकाओं का सुधार किया जाएगा। सड़कों को उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिए उन पर शौचालयों तथा पेयजल जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी और उनका डिजाइन (design) विकलांगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार एवं कार्यान्वित किया जाएगा। 150 किमी सड़कों के दीर्घकालिक रखरखाव के अंतर्गत लघु मुरम्मत कार्य, मोड़ों पर सुधार, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में सुधार आदि को शामिल किए जाने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण चूंकी सड़कें आड़ी तिरछी होती हैं, इसलिए परियोजना के डिजाइन (design) में जैव-इंजीनियरिंग घटक जैसे प्रकृति आधारित तरीके अपनाए जाएंगे।
3. "हितधारकों को शामिल करने की योजना" (SEP), विश्व बैंक की पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ESF), 2016 की सुरक्षा अनुपालन आवश्यकताओं के पर्यावरण और सामाजिक मानक (ESS-10) के अनुरूप पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आंकलन (ESIA) की तैयारी का एक हिस्सा है। इस योजना (SEP) में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के

कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में मौजूदा संस्थागत और नियामक ढांचे के साथ-साथ विश्व बैंक की पर्यावरण और सामाजिक संरचना, 2016 की सुरक्षा अनुपालन अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। इनमें शामिल हैं: i) पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित। ii) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार। iii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और iv) विश्व बैंक की पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ESF), 2016 तथा पर्यावरण और सामाजिक मानक (ESS-10) के अंतर्गत हितधारक सहभागिता, सूचना प्रकटीकरण। हितधारकों को शामिल करने की योजना एक गतिशील दस्तावेज है और परियोजना के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान इसे अद्यतन किया जाएगा और नए हितधारक का नवीनीकरण और समावेश एक सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाएगा।

4. हितधारकों की पहचान की प्रक्रिया के तहत समग्र परियोजना के घटकों और उप-घटकों सहित समग्र परियोजना के लिए प्रासंगिक सभी हितधारकों पर विचार किया गया। इनमें वर्तमान में परियोजना से जुड़े लोग और साथ ही वे लोग भी शामिल हैं जो कार्यान्वयन के दौरान बाद में परियोजना से जुड़ेंगे। हितधारकों की पहचान की गई और उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया: i) परियोजना प्रभावित पक्ष, ii) अन्य इच्छुक पक्ष और iii) वंचित और कमजोर समूह। उन सभी अंतर-परियोजना लाभार्थियों, परियोजना से प्रभावित लोगों, महिलाओं, समुदाय के कमजोर तथा गरीब लोगों और अन्य हितधारकों के हितों और परियोजना पर प्रभाव को समझने के लिए उनके साथ व्यवस्थित परामर्श आयोजित किए गए थे। दूसरे दर्जे के हितधारकों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय समुदाय-आधारित संगठनों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकारी विभागों के साथ भी सलाह मशविरा किया गया। समुदाय में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के समूहों के साथ चर्चाएं आयोजित की गईं।

5. परियोजना के तहत सभी प्रकार के हितधारकों के साथ परामर्श का उद्देश्य परियोजना के मुद्दों की गहन समझ हासिल करना और हितधारकों के एक व्यापक समूह की चिंताओं के बारे में जानना था। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो सकते हैं। भूमि और संरचनाओं पर प्रभाव सहित परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक प्रभावों और अवधारणाओं तथा चिंताओं के बारे में समुदाय के

सदस्यों को शामिल कर किए गए विचार विमर्श में समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया। परियोजना के बारे में जानकारी का प्रसार करने और परियोजना के बारे में समुदाय के वंचित तथा कमजोर सदस्यों के विचार जानने के लिए उनके साथ अलग-अलग साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। चुने हुए स्थानों पर सड़क से संबंधित आजीविका गतिविधियों में महिलाओं से उनके हितों के बारे में भी सलाह मशविरा किया गया। इन गतिविधियों में महिलाओं को मुख्य सड़क के निकटवर्ती स्थानों (off-carriage) पर रखरखाव कार्यों में भागीदार बनाना और परियोजना के तहत सड़कों के साथ ढलान स्थिरीकरण प्रयासों के लिए अति आवश्यक जैव-इंजीनियरिंग उपायों में उनसे मदद लेना शामिल है। विशेष रूप से परियोजना के तहत आने वाली सड़कों पर जहां श्रमिक शिविर और स्कूल तथा अस्पताल जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील संस्थान स्थित हैं, वहां लिंग आधारित हिंसा (GBV), यौन उत्पीडन तथा यौन शोषण से संबंधित सवालों पर महिलाओं को एक अलग प्रश्नावली दी गई थी। सार्वजनिक परामर्श के परिणाम अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई जिसमे वर्गीकरण व शमन पद्धति को अपनाने और हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम (HPSRTP) के तहत चुनी हुई सड़कों के कार्यान्वयन के कारण उठने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रबंधन के मुद्दों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मददगार होगा।

6. हितधारकों को शामिल करने की योजना (SEP) के तहत उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है, उनके साथ संबंध बनाने के लिए आदान प्रदान तंत्र बनाया जाता है तथा उनसे जानकारी एकत्र की जाती है और उनके साथ परामर्श किया जाता है। एक उपयुक्त प्रक्रिया का चयन करते समय, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तंत्र, और हितधारक समूह के साथ जुड़ने के उद्देश्य पर विचार किया गया है।

7. हितधारक अनुबंध योजना के तहत हितधारक अनुबंध योजना और अन्य दस्तावेजों जैसे पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आंकलन, परियोजना/गलियारा विशिष्ट पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबंधन योजना, पुनर्वास नीति संरचना और अन्य के संपूर्ण परियोजना जीवन चक्र में परियोजना से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के प्रकटीकरण की प्रक्रिया, विधि और समय पर भी चर्चा की जाती है। पर्यावरण और सामाजिक रिपोर्टों या दस्तावेज में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली के लिए आसानी से आसानी से समझी जाने वाली मार्गदर्शिका भी हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम की वेबसाइट

पर पोस्ट की जाएगी। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार परियोजना के तहत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र का विस्तृत विवरण, संपर्क व्यक्तियों के ब्यौरे के साथ साइट पर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम नियमित रूप से वेबसाइट को अद्यतन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

8. हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम के स्तर पर कार्यान्वयन व्यवस्था के संदर्भ में, सामाजिक विकास अधिकारी, हितधारकों को शामिल करने की योजना में उल्लिखित समय और प्रक्रिया के अनुरूप हितधारकों को शामिल करने का रिकॉर्ड रखने, इसके नवीनीकरण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। परियोजना स्तर पर, परियोजना प्रबंधक इकाई के अधिशासी अभियंता, तीसरे पक्ष के रूप में गैर-सरकारी संगठन, ठेकेदार और परियोजना प्रबंधन सलाहकार, पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) के अलावा हितधारकों को शामिल करने की योजना, शिकायत निवारण तंत्र (GRM) के कार्यान्वयन में सहायता करेंगे। परामर्श और प्रकटीकरण के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए चल रही हितधारकों को शामिल करने की प्रक्रिया की सफलता और समय पर कार्यान्वयन के लिए निगरानी एक आवश्यक घटक है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस प्रक्रिया के दौरान विचार विमर्श तथा प्रकटीकरण प्रयास असरदार हैं और हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल किए जाने के दौरान, गैर सरकारी संगठन (तीसरे पक्ष) की सहायता से पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन इकाई हितधारक समूह के आधार पर टीम प्रतिभागियों से सवाल पूछकर बैठक करेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उन्हें संदेश स्पष्ट रूप और सही अर्थ में दिये जा रहे हैं और टीम क्षेत्र में रहने के दौरान उनके साथ जानकारी देने के सत्र आयोजित करेगी। इससे यह आंकलन करने में मदद मिलेगी कि क्या हितधारकों को शामिल करने की प्रक्रिया से वांछित परिणाम मिले हैं और जहां भी आवश्यक होगा, प्रक्रिया में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा।

9. हितधारक को शामिल कर की गई गतिविधियों पर मासिक सारांश, आंतरिक रिपोर्टों और शिकायत निपटान को तीसरे पक्ष के रूप में गैर सरकारी संगठन की सहायता से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा मिलान किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई तथा हिमाचल प्रदेश सड़क सुधार परियोजना के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। परियोजना द्वारा नियमित

रूप से कई प्रमुख निष्पादन संकेतों की निगरानी की जाएगी। वर्ष के दौरान हितधारक अनुबंध परियोजना के तहत लोगों को शामिल कर की गई गतिविधियों की जानकारी, हितधारकों को शामिल करने की परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट के ऑनलाइन प्रकाशन के माध्यम से हितधारकों को दी जाएगी। इस बारे में सभी हितधारकों और वित्त पोषक एजेंसी - विश्व बैंक को भी सूचित किया जाएगा।

10. परियोजना जीवन चक्र के दौरान हितधारकों को शामिल करने की योजना के कार्यान्वयन के लिए 22.6 लाख रुपये का सर्व-समावेशी बजट उपलब्ध कराया गया है।

****